राजभवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 6 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस

❒ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम से देश की अखंडता मजबूत- राज्यपाल डेका

रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में राजभवन में आज यहां 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत आंध्रप्रदेश, केरल, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य एवं दादर एवं नगर हवेली व दमन द्वीव का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इन राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन और सूफी गायन की प्रस्तुति भी दी गई।

राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आपस में आदान-प्रदान होता है। जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है।

राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर सभी राज्यों की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यह हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु, साधु-संत और विद्वान एकत्रित होते हैं। यह आयोजन वेदों और पुराणों में वर्णित पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। उत्तरप्रदेश, की सांस्कृतिक धरोहर, इस राज्य को एक सशक्त राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। महाकुंभ जैसे आयोजनों की सफलता यह दर्शाती है कि उत्तरप्रदेश न केवल भारत की आस्था का केंद्र है बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहा है।

आंध्रप्रदेश ने कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आंध्रप्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। आंध्रप्रदेश, घरेलू पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। विशेष रूप से तिरूपति बालाजी मंदिर, हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है।

राज्यपाल ने कहा कि केरल अपनी शैक्षणिक उन्नति, स्वास्थ्य सेवाओं, साहित्य, कला, सांस्कृतिक विरासत और सुंदर समुद्री तटों के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य सूचकांक और लैंगिक समानता में केरल पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन काल में हमारी कई सभ्यताएं मातृप्रधान रही है। लेकिन वर्तमान में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्य जनजातियां मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करती है और यहां विरासत तथा वंश महिलाओं से चलता है। मेघालय के ग्रामीण जीवन में पर्वतीय जीवन शैली के दर्शन होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह राज्य महत्वपूर्ण है। यहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर शाब्दिक अर्थो में आभूषणों की भूमि है। यहां के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होने के साथ-साथ सृजनशील होते हैं जो उनकी हथकरघा, दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। मणिपुर देश का आर्किड टोकरी है, यहां आर्किड पुष्प की 500 प्रजातियाँ पाई जाती है। प्राकृतिक छटा से भरपूर यह राज्य पर्यटकों के लिए स्वर्ग हैं। राज्यपाल ने कहा कि त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत, पुराणों तथा अशोक के शिलालेख में मिलता है। इस राज्य की अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति है। देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ भक्तो की आस्था का केंद्र है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के बाद यहां विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। राज्यपाल डेका ने कहा कि युवाओं को अपने प्रदेशों की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित एवं संरक्षित करना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि जी स्वामी, केरल के प्रतिनिधि विनोद पिल्ले, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि प्रतीक पाण्डेय, त्रिपुरा की प्रतिनिधि सुश्री संगीता ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। राज्यपाल द्वारा भी इन को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

कार्यक्रम में पद्मश्री से पुरूस्कृत द्वय श्रीमती उषा बारले ने पंडवानी गायन की और मदन चौहान ने सूफी गायन की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ सी.आर. प्रसन्ना, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना नेताम, इन सभी राज्यों के छत्तीसगढ़ में निवासरत युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण एवं खास

नारायणपुर जिले में 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

नारायणपुर-रायपुर (आरएनएस)। नारायणपुर जिले में माओवाद विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। पहली बार, कुतुल एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय 29 माओवादियों ने बिना हथियार आत्मसमर्पण किया। इनमें 22 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं, जो लंबे समय से नक्सली संगठनों के लिए काम कर रहे थे।इस आत्मसमर्पण को माड़ बचाओ अभियान के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। नारायणपुर और माड़ क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य, नई सडक़ों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। संस्था छोडऩे के प्रमुख कारण आत्मसमर्पित माओवादियों ने बताया कि संगठन में बढ़ते मतभेद, विचारधारा से मोहभंग और अंदरूनी शोषण के कारण वे अब सामान्य जीवन जीना चाहते हैं।

सड़क हादसे में बाईक सवार युवक की मौत

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले के अकलतरा के जनपद पंचायत के पास एक सडक़ हादसे में बाईक सवार युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत बाइक और कार में जोरदार टक्कर होने से हुई। मिली जानकारी के अनुसार हनी सिंह नामक युवक अपनी बाईक से कही जा रहा था इसी दौरान अकलतरा के जनपद पंचायत के पास एक तेज रफ्तार कार के चालक ने बाईक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलतरा में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची औरकर जांच में जुट गई है। इधर युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ईलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण युवक की जान चली गई। फिलहाल अकलतरा पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

यूपी सीमा से लगे धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लगी कतार

बलरामपुर-रायपुर (आरएनएस)। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से लगे सभी सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दिया है वही जानकारी है कि उक्त फैसले की वजह से बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इधर सूत्रों कि माने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी रात 12 बजे तक छोटे-बड़े सभी वाहनों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है वही किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है इस प्रतिबंध की वजह से रास्ते में फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हत्या के आरोपी पिता-पुत्र चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर | आरएनएस

दिनांक 26.10.2024 को सूचक शाहरूख पाल ने थाना डी.डी.नगर में सूचना दिया कि उसका परिचित डमरू जो महादेवघाट के पास बने खाली दुकान में रहता है, ने उसे फोन कर बताया उसकी मां सुखवन्तीन की मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना डी.डी.नगर पुलिस द्वारा घटना स्थल यादव कबाड़ी दुकान के पास रायपुरा जाकर निरीक्षण में पाया गया कि मृतिका सुखवंतीन धीवर का शव दीवार के पास जमीन में चित हालत में जमीन में बिछे बिस्तर में पड़ा था, मृतिका के शव के पास एक बांस का डण्डा पड़ा था। शव से थोड़ी दुर में चुड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था एवं मृतिका का खून बिस्तर में बिछे चादर एवं दीवार में भी लगा था। मृतिका के बायें हाथ कोहनी के पास चोट खरोच का निशान, पीठ एंव उंगली के पास चोट का निशान था, कि मर्ग कायम कर जांच में लिया जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका के मृत्यु का कारण गर्दन की संरचना में आंतरिक चोटे, सिर पर चोट के साथ गर्दन पर दबाव पडऩे के कारण दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति होमोसाईडल होना लेख किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतिका सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया गया था, कि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 490/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। चूंकि घटना के बाद से मृतिका का पति एवं पुत्र दोनों फरार थे। घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी के पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे, इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका का अपने पति एवं पुत्र से हमेशा विवाद होता था। जिस पर टीम के सदस्यों को मृतिका के पति एवं पुत्र पर शक हुआ एवं दोनों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। दोनों की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को दोनों की रायपुर उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर दोनों की पतासाजी कर उन्हें पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक घटना को दोनों पिता एवं पुत्र का किसी बात को लेकर सुखवंतीन धीवर के साथ विवाद हुआ था जिस पर दोनों सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दिये एवं फरार हो गये। दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने भीमआर्मी के प्रदेश प्रमुख के साथ 15 आरोपियों की जमानत मंजूर की

बिलासपुर-रायपुर | आरएनएस

बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 से अधिक आरोपियों को जमानत दे दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक अभियुक्त को पहले जमानत मिल गई है, उसी को आधार बनाकर अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है.जमानत याचिका की सुनवाई आज जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें अभियुक्तों की जमानत याचिका को स्वीकार किया गया. इस मामले में 10 जून को बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोडफ़ोड़ और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद हिंसा और तोडफ़ोड़ के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. मामले में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.हाईकोर्ट के अधिवक्ता हर्षवर्धन परघानिया ने बताया कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज 40 से अधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 से अधिक लोगों जमानत दी है.

कलेक्टर एसपी और ऑब्जर्वर ने बिलाईगढ़ क्षेत्र के स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का अवलोकन किया

सारंगढ़ बिलाईगढ़

नगरपालिका और पंचायत आम चुनाव के सामान्य प्रेक्षक ग्रीष्मी चांद, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बिलाईगढ़ क्षेत्र में स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल सरसीवां, शासकीय स्कूल भटगांव, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवनी और शहीद वीर नारायण सिंह कालेज बिलाईगढ़ में बेरिकेटिंग, वितरण, निर्वाचन कर्मियों की बैठक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि व्यवस्था का अवलोकन किया और आवश्यक व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान ईई लोक निर्माण विभाग पी एल पैकरा, संबंधित सीएमओ उपस्थित थे।

दिनदहाड़े हुई लूट का 24 घंटे में खुलासा, तीन गिरफ्तार

कोरबा-रायपुर | आरएनएस

कटघोरा में बंधन बैंक के रिकवरी एजेंट से हुई सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण : दिनांक 28 जनवरी 2025 को बैंक रिकवरी एजेंट संजय कुमार यादव जब फील्ड में कलेक्शन कर रहे थे, तभी आरोपियों ने 15 दिनों की रेकी के बाद उन्हें आछी दादर नान बांका के कच्ची सडक़ व निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पास घेर लिया। चाकू की नोक पर उन्हें धमकाकर 42,290 नकद, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल व टेबलेट लूट लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कटघोरा ने तत्काल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को अवगत कराया। उनके निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर तथा एसडीओपी पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर टीम के साथ घेराबंदी की।

गिरफ्तार आरोपी :-

1. राजपाल चौहान (पिता पीताम्बर चौहान), उम्र 21 वर्ष, निवासी जमनीमुड़ा, थाना पाली।
2. आशीष चौहान (पिता स्व. रघुवर सिंह), उम्र 21 वर्ष, निवासी पखनापारा, लिटियाखार, थाना दीपका।
3. सूरज चौहान (पिता विश्राम सिंह), उम्र 30 वर्ष, निवासी पखनापारा, लिटियाखार, थाना दीपका।

शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता से किया दुष्कर्म

कांकेर-रायपुर | आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.10.24 को उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कही चली गयी है। जिसका आस पडोस रिस्तेदारों में पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चला है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है । प्रार्थिया के रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 06/24 एवं अपराध क्र. 07/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता के देखते हुए उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देशन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल (भा.पु.से.)के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक आप्स कांकेर गिरिजाशंकर साव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उप निरीक्षक केजू राम रावत के नेतृत्व में नाबालिग अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश के दौरान लगाये गये मुखबिर एवं तकनीकी मदद से अपहृत बालिका का हैदराबाद में होने की जानकारी मिलने पर अपहृता का पता साजी कर अपहृत नाबालिग बालिका को लोकेश कुमार यादव पिता लवकुश उम्र 21 वर्ष से बरामद कर दस्तयाब किया गया। अपहृता को थाना लाकर पूछताछ कर कथन लिया गया । जिसने अपने कथन में बतायी कि लोकेश यादव पिता लवकुश यादव ग्राम रजौली जिला बालोद ने तुमको पसंद करता हूँ, शादी करूंगा बोल कर दिनांक 30.10.24 को बालोद बुलाकर अपने साथ ग्राम डुडिय़ा ले गया और अपने परिचित के घर रखा था और वहॉ पर नाबालिग जानते हुए मना करने के बावजूद तुमसे शादी करूंगा बोलकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और हैदराबाद ले जाकर अलग अलग दिन कई बार मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया है बतायी। मामले में अपहृता के कथन पर से अपराध धारा 87,64(1) बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87,64(1)बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट जोडा गया है। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर लोकेश यादव द्वारा अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक 29.11.24 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

महिला की हत्या, पिता व नाबालिग पुत्र गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

राजधानी के महादेव घाट रायपुरा में अक्टूबर 2024 में एक महिला की हत्या के मामले में थाना डीडी नगर पुलिस ने मृतका के पति व नाबालिग पुत्र को गिरफ्तार कर किया है। दोनों की हत्या के बाद से फरार थे।

बता दें कि दिनांक 26.10.2024 को थाना डी.डी.नगर पुलिस को सूचना एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि महादेवघाट के पास बने खाली दुकान में रहने वाले डमरू ने उसे फोन कर बताया उसकी मां सुखवन्तीन की मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना डी.डी. नगर पुलिस द्वारा घटना स्थल यादव कबाड़ी दुकान के पास रायपुरा जाकर निरीक्षण में पाया गया कि मृतिका सुखवंतीन धीवर का शव दीवार के पास जमीन में चित हालत में जमीन में बिछे बिस्तर में पड़ा था, मृतिका के शव के पास एक बांस का डण्डा पड़ा था। शव से थोड़ी दुर में चुड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था एवं मृतिका का खून बिस्तर में बिछे चादर एवं दीवार में भी लगा था। मृतिका के बायें हाथ कोहनी के पास चोट खरोच का निशान, पीठ एंव उंगली के पास चोट का निशान था, कि मर्ग कायम कर जांच में लिया जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका के मृत्यु का कारण गर्दन की संरचना में आंतरिक चोटे, सिर पर चोट के साथ गर्दन पर दबाव पडऩे के कारण दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति होमोसाईडल होना और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतिका सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की बात सामने आई। जिसपर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। चूंकि घटना के बाद से मृतिका का पति एवं पुत्र दोनों फ रार थे। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी के पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी मिली कि मृतिका का अपने पति राजू कुर्रे उर्फ भोला सतनामी एवं नाबालिग पुत्र से हमेशा विवाद होता रहता था। जिस पर टीम के सदस्यों को मृतिका के पति एवं पुत्र पर शक हुआ एवं दोनों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। दोनों की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को दोनों की रायपुर में उपस्थिति के संबंध में जानकारी मिली। जिस पर दोनों की पतासाजी कर उन्हें पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक घटना को दोनों पिता एवं पुत्र का किसी बात को लेकर सुखवंतीन धीवर के साथ विवाद हुआ था जिस पर दोनों ने सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और फ रार हो गये। दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU